



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 20 जनवरी, 2001 ई०

पौष 30, 1922 शक सम्वत्

उत्तरांचल सरकार

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 13/वि० एवं सं० कार्य/2001

देहरादून, 20 जनवरी, 2001 ई०

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 18 जनवरी, 2001 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 3 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था)

(उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 3 सन् 2001)

(जैसा उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972

का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।

(2) यह 27 दिसम्बर, 2000 ई० को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

उ०प्र० अधिनियम सं०
7 सन् 1972 की
धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है धारा 2 में, उपधारा (1) में अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 2000 तक" के स्थान पर अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 2001 तक" रख दिए जायेंगे।

निरसन एवं अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
इरशाद हुसैन,
सचिव।

No. 13 (i)/Vidhayee and Sansadiya Karya/2001
Dated Dehradun, January 20, 2001

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpakalik Vyavastha) (Uttaranchal Amendment) Act, 2001 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 3 of 2001).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on January 18, 2001.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI SAMITIS
(ALPKALIK VYAVASTHA) (UTTARANCHAL AMENDMENT) ACT, 2001
(UTTARANCHAL ACT No. 3 OF 2001)
[As passed by the Uttaranchal Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972

IT IS HEREBY enacted in the Fifty first year of the Republic of India as follows—

Short title and
commencement

Amendment of
Section 2 of U.P.
Act No. 7 of 1972

Repeal
savings and

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) (Uttaranchal Amendment) Adhiniyam, 2001.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 27, 2000.

2. In Section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), for the words and figures "till December 31, 2000", the words and figures "till December 31, 2001" shall be substituted.

3. (1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) (Uttaranchal Sanshodhan) Adhyadesh, 2000 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By Order,
IRSHAD HUSSAIN,
Sachiv.